सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 03 श्रावण, 1946 (श०) / 25 जुलाई, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 165

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	34
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	55
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	39
(4)	कृषि विभाग	10
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	12
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	07
(7)	सहकारिता विभाग	08
	कुल योग --	165

जमीन आवंटन करना

*406. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकटा प्रखंड के प्राथमिक उर्दू विद्यालय, बेहरा और मैनाटाँड़ प्रखंड के प्राथमिक, पुरेनिया 50 वर्ष पूर्व से चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों का भवन गैर-मजरुआ जमीन पर होने और विद्यालय के नाम जमीन नहीं होने के कारण उक्त दोनों विद्यालयों के भवन के निर्माण कार्य में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर स्थित विद्यालयों के जमीन को विद्यालय के नाम पर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*407. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा विधान सभा क्षेत्र के रिविलगंज, टेकनिवास नैनी, चनचैडा, बाजार समिति के मुख्य बाजार में एक भी सार्वजनिक शुद्ध पेयजल केन्द्र एवं शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर शुद्ध पेयजल केन्द्र एवं शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*408. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखंड के जाले साथी चौक के समीप जिला परिषद् की जमीन जिसका खाता संख्या 1470 एवं खेसरा संख्या 8271, 8272 को अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण खाली कराने की दिशा में अपर समाहर्ता, दरभंगा (न्यायालय अपर समाहर्ता, दरभंगा) के द्वारा अपने पत्रांक 991/न्या0, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 द्वारा अंचल अधिकारी, जाले को पत्र प्रेषित किया था, परंतु अभीतक उक्त भूमि पर से अतिक्रमण खाली नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में उक्त भूमि पर से अतिक्रमण खाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*409. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1047, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा खराब चापाकल/लेयर नीचे चले जाने पर बगल में चापाकल लगाने हेतु कार्य प्रमंडल, हिलसा के लिये राशि स्वीकृत की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार के पत्रांक 2142, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 के द्वारा 23 अदद् स्थानों पर चापाकल की मरम्मती/लेयर भागने की स्थिति में बगल में चापाकल लगाने का आदेश कार्यपालक अभियंता, हिलसा को दिया गया था, परन्तु इसका अनुपालन अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विभागीय आदेश का अनुपालन कराते हुये विलम्ब के लिये दोषी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिसला, नालन्दा पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*410. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी स्थित कृष्णा स्वीट्स से रोड संख्या 1F स्थित सेंट लुईस स्कूल, लोटस अपार्टमेन्ट, रीजेंसी अपार्टमेन्ट होते हुये अटल पथ तक जाने वाली सड़क जर्जर है, साथ ही उक्त कॉलोनी में नमामी गंगे परियोजना के तहत सड़क के बीच नाला निर्माण के क्रम में सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है एवं भू-गर्भ नाला का निर्माण भी अधूरा पड़ा है, जिस कारण जर्जर सड़क पर जल-जमाव की समस्या बनी हुई है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है, जबकि अटल पथ से सटे होने के कारण सभी मुख्य विद्यालयों के आने-जाने का यह मुख्य सड़क है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क तथा अधूरे पड़े नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*411. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत चनपटिया प्रखंड के किसानों को मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत वर्ष 2022-23 में गेहूँ के फसल का मुआवजा अभीतक नहीं मिल पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों के फसल का मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार पथ बनाना

*412. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड 11 दलित बस्ती से वार्ड 5 के मुख्य बाजार के बीच रामरेखा नदी की शाखा गुजरती है, जिस पर पुलिया नहीं होने से आमजनों को एक किलो मीटर की दूरी तयकर मुख्य बाजार जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त रामरेखा नदी की शाखा पर पैदल पार पथ बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का चौड़ीकरण

*413. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम चौक से खातोपुर चौक, एन0एच0 31 तक लगभग 2.5 किलो मीटर की सड़क का चौड़ीकरण नहीं होने के कारण आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, साथ ही शहरवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि यह सड़क बेगूसराय बाजार का मुख्य सड़क है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त सड़क का चौड़ीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*414. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर अंचल कार्यालय में विभूतिपुर विधान सभा में अवस्थित भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित पत्रांक-685, दिनांक 14 फरवरी, 2023, 480, दिनांक 11 अप्रील, 2023, 108, दिनांक 17 जनवरी, 2023, 26, दिनांक 26 सितम्बर, 2023, आवेदन सहित कुल 3858 आवेदन अंचलाधिकारी को दिये गये हैं, जिस पर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सभी आवेदनों की जाँच कर उक्त विधान सभा क्षेत्र में भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी में सुधार करना

*415. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया, ईसुआपुर एवं पानापुर प्रखंडों में जमाबंदी ऑनलाइन में भूमि का खाता, खेसरा एवं रकबा गलत ढंग से चढ़ने के कारण परिमार्जन हेतु भूमिधारकों को बार-बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*416. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद् क्षेत्र में जल निकासी हेतु मुख्य नाला निर्माण करने की योजना वर्ष 2022-23 में बनी थी तथा नाला निर्माण करने की जिम्मेवारी बुडको को दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर परिषद् में मुख्य नाला निर्माण करने हेतु बुडको द्वारा अबतक निविदा प्रक्रिया भी पूरा नहीं किया गया है, जिससे शहर की जल निकासी योजना अधर में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में नरकटियागंज नगर परिषद् में जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने हेतु बुडको द्वारा शीघ्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मुख्य नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*417. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार के पत्रांक-973, दिनांक 14 मई, 2024 के द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, हिलसा के कार्यपालक अभियंता के द्वारा 68 चयनित स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान पर चापाकल लगाने की जाँच का आदेश देने के उपरान्त भी दोषी अभियंता पर कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 68 चयनित स्थानों पर चापाकल लगाने का आदेश देते हुए जाँच में विलम्ब एवं दोषी कार्यपालक अभियंता, हिलसा, नालन्दा पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुज्ञप्ति देना

*418. श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के दिए गए प्रावधानों के अनुरूप उपभोक्ता भंडार सहकारी सहयोग समिति लि० को लक्षित जन-वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति पूरे प्रदेश में दी गई थी, जिसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा भी उपभोक्ता भण्डार सहयोग समिति, जो सहकारी सोसायटी के अन्तर्गत आता है, को अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में बिहार सरकार द्वारा उपभोक्ता भंडार सहकारी सहयोग समिति लि० को अनुज्ञप्ति दिये जाने वाली सूची से हटा दिया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपभोक्ता भंडार सहकारी सहयोग समिति लि० को अनुज्ञप्ति दिये जाने वाली सूची में जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्विचार करना

*419. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निबंधक सहयोग समिति, पटना ने दिनांक 30 जून, 2024 को निर्गत पत्र के माध्यम से राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों में मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को पदस्थापित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पास बैंकिंग कार्य का अनुभव नहीं है, साथ-ही-साथ बैंक के कार्मिक नीति में इसे रखने का प्रावधान भी नहीं है एवं आर० बी० आई० द्वारा भी ऐसे कर्मियों को रखने की बात नहीं कही गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त की गई पदस्थापना पर पुनः विचार करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*420. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव नगर परिषद् के वार्ड नं०-28 में पति कुर्मी की गली एवं महादेवदत्त की गली पुराने नक्शा के अनुसार अतिक्रमण के कारण 13 फीट की गली 8 फीट से भी कम हो गयी है, जिस कारण रिक्शा, ऑटो सहित अन्य छोटे वाहनों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गली को पुराने नक्शा के अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल आपूर्ति कराना

*421. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017-2018 में मिनी जल आपूर्ति योजना के तहत स्वचालित सोलर प्लांट स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु अररिया जिलान्तर्गत स्थापित किया गया था, जो रख-रखाव की समाप्ति के उपरांत खराब हो गया है इसकी संख्या जिला में 125 है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला में सर्वेक्षण कराकर खराब पड़े स्वचालित सोलर प्लांट स्वच्छ जल आपूर्ति यंत्र को ठीक कराकर जल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी की व्यवस्था करना

*422. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद अन्तर्गत नगर पंचायत, अमदाबाद में नवरत्नपुर के शौकत के घर से वासु सेठ के घर तक बजरंग टोला से दिलीप मण्डल के घर तक एवं मोती इंस्पेक्टर के घर से बड़ी मस्जिद तक जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण वहां जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर जल निकासी की व्यवस्था करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विकसित करना

*423. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में हाट-बाजार-सैरातों से प्राप्त आय का 25 प्रतिशत संबंधित हाट, बाजार, सैरात के विकास एवं जनोपयोगी कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है, परन्तु स्वच्छ पानी, सड़क, बिजली, रोड साफ-सफाई आदि जनोपयोगी कार्यों की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा सुचारू रूप से नहीं किये जाने के कारण लोगों को निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में नियमानुसार प्राप्त राजस्व का 25 प्रतिशत संबंधित हाट/बाजार/सैरात पर खर्च कर उसे विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला की मरम्मती करना

*424. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 80, दिनांक 12 फरवरी, 2019 द्वारा स्वीकृति के पश्चात पटना जिलान्तर्गत दानापुर, नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं० 37 अंतर्गत कुसुमपुर कॉलोनी टीचर्स लेन में श्री के०एन० पाण्डेय के घर होते हुये तीन मुहानी तक वर्ष 2020-21 में 30 लाख की लागत से आर०सी०सी० नाला का निर्माण कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं रहने के कारण 5 वर्ष के अंदर ही उक्त नाला कई जगह क्षतिग्रस्त हो जाने से पानी का प्रवाह पूर्णत: अवरुद्ध हो गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये उक्त नाला की मरम्मती/पुनर्निर्माण कराकर पानी के प्रवाह को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*425. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत नदौरा पंचायत के वार्ड नं०-3 एवं 5 में नल-जल योजना के तहत वर्ष 2019 में लाखों-लाख रुपये खर्च कर ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति हेतु नल-जल का कार्य कराया गया था, परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण उक्त वार्डों में आजतक पेयजल की सुविधा नहीं मिली है, जबकि उक्त वार्ड चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में अवस्थित है, जहां पानी की घोर समस्या बनी रहती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पेयजल निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराते हुये उक्त वार्ड के ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*426. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक 587, दिनांक 21 फरवरी, 2015 के द्वारा नालन्दा जिला के प्रखंड एकंगरसराय, मौजा-पेन्दापुर-दनियावाँ के प्लॉट नं० 1378 (बायसी-तेयसी पईन) के सटे दक्षिण सड़क/रास्ता निर्माण के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित पईन के सटे दक्षिण मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने के उपरान्त भी निवर्तमान अंचलाधिकारी के द्वारा रास्ता का निर्माण कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मौजा-पेन्दापुर-दनियावाँ के प्लॉट नं०-1378 के सटे दक्षिण बनाये गये रास्ता को हटाकर दोषी निवर्तमान अंचलाधिकारी, एकंगरसराय पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोग से मुक्त करना

*427. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 जून, 2024 के अंक में छपी खबर ''हाजीपुर में मालभोग केले की पैदावार 75 फीसदी घटी'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केला अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार का 15 फीसदी केला का पैदावार करने वाले हाजीपुर के खेतों की मिट्टी में टी-आर० 4 नामक फ्यूजेरियम विल्ट (पनामा रोग) फफूंद, जिसकी उम्र 30-40 साल होती है, लग जाने की वजह से केले की अतिसंवेदनशील प्रजाति मालभोग का उत्पादन 75 फीसदी तक घट गया है, जिससे किसानों की आमदनी प्रभावित हुई है,

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हाजीपुर के केले की खेतों को पनामा रोग से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना कार्यान्वित करना

*428. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-1 एवं योजना-2 के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, शौचालय निर्माण-घर का सम्मान निश्चय योजना (शहरी क्षेत्र), सभी शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाइपास अथवा फ्लाई ओवर का निर्माण आदि योजनाएँ चलायी जा रही है, परंतु किसी भी योजना में स्थानीय विधायक से अनुशंसा नहीं ली जा रही है, जबकि पूर्व में मुख्यमंत्री शहरी क्षेत्र विकास योजना के तहत स्थानीय विधायक से अनुशंसा लेकर उसे प्राथमिकता दी जाती थी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शहरी क्षेत्र से संबंधित सात निश्चय की योजनाओं में स्थानीय विधायक की अनुशंसा प्राप्त कर उसे प्राथमिकता से कार्यान्वित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*429. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय, नगर निगम क्षेत्र में ऑटो एवं ई-रिक्शा पड़ाव नहीं रहने के कारण यत्र-तत्र उक्त वाहनों का ठहराव होने से सहरसा चांदनी चौक, महावीर चौक, शंकर चौक, थाना चौक, नेताजी सुभाष चौक सहित अन्य चौक एवं सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार सहरसा शहर में जगह-जगह जन-सुविधा युक्त वाहन पड़ाव की व्यवस्था कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*430. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण पंचायत के मुख्यालय में किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के बाजार वर्मा पंचायत में चार जगह सरकारी भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद अंचलाधिकारी, गोह द्वारा पंचायत भवन निर्माण के लिये मुडवा में कब्रिस्तान की जमीन उपलब्धता की स्वीकृति दी गयी, जिसके कारण गाँव में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाजार वर्मा पंचायत के लिये स्वीकृत पंचायत भवन को बाजार वर्मा गांव में निर्माण कराने एवं दोषी अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगवाना

*431. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला में जल स्तर नीचे जाने से पेय जल संकट हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुराने चापाकल खराब है जिसके कारण दर्जनों गावों में पेय जल संकट गहरा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में सर्वेक्षण करवाकर नया चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*432. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या 107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत एकमा पंचायत के वार्ड नं० 12 (रामपुर ग्राम) में भरत यादव एवं लालबाबू यादव द्वारा गांव के मुख्य सड़क की जमीन पर अपने घर की चहारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे रास्ता संकीर्ण हो गया है साथ ही वे अपने घर के पीछे अनुसूचित जाति के बसावट तक जाने वाली रास्ते में बोरिंग कर रास्ते को बाधित कर दिये हैं, जिससे आमजनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथों को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल भवन बनाना

*433. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर में स्थित पशु अस्पताल जीर्ण-शीर्ण होने के कारण किराये के मकान में चलता है, यदि हाँ, तो सरकार बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर में स्थित अस्पताल का नया भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पद सृजित करना

*434. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से प्रतिवर्ष 40 छात्र डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन प्रदेश में प्रमंडल, अनुमंडल अथवा प्रखंड स्तर पर डेयरी विकास समन्वयक का पद नहीं होने की वजह से एक तरफ इन छात्रों के पास रोजगार के अवसर नहीं होते हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार डेयरी टेक्नोलॉजी की बीटेक डिग्री धारियों के लिये प्रखंड स्तर पर डेयरी विकास समन्वयक का पद सृजित कर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*435. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र में सफाई का सालाना बजट वर्ष 2016 में 12 करोड़ था, जिसमें सफाई के मामले में रैंकिंग 275 थी, जबकि वर्ष 2024 में 24 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी सफाई के मामले में उक्त शहर की रैंकिंग 403 हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि है संसाधन और राशि बढ़ने के बावजूद खराब प्रबंधन के कारण भागलपुर शहर में सफाई की व्यवस्था में गिरावट आयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बजट और संसाधन बढ़ने के बावजूद भी सफाई रैंकिंग गिरने का क्या औचित्य है और सरकार इसके लिये दोषियों पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*436. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अन्तर्गत थाना नं० 579, खाता नं० 332/क, खेसरा नं० 364, रकबा 1.25 डिसमील पुरानी परती जमीन है एवं खाता नं० 322/क खेसरा नं० 788 रकबा 1.47 डिसमील किस्म गडही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वयन करना

*437. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत नगर पंचायत कहलगांव द्वारा राज्य योजना मद की राशि 22450266 से विकास कार्य करवाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 05/2023-24 द्वारा कुल पाँच ग्रुप के निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटित किया गया था एवं निविदा में सफल ग्रुप 1 के संवेदक द्वारा लगभग 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि है NIT संख्या 05/2023-24 की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाने के बाद भी 31 मार्च, 2024 को राज्य योजना मद की उक्त राशि Auto Surrender हो गयी जिससे विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार Auto Surrender उक्त राशि को कहलगांव नगर पंचायत को वापस कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*438. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के सीवान सदर प्रखंड के पचलखी पंचायत का विकास कार्य सीवान सदर प्रखंड से होता है तथा राजस्व का कार्य मैरवा अंचल से होता है, जबकि पचलखी पंचायत से मैरवा अंचल की दूरी 20 कि०मी० और सीवान सदर अंचल की दूरी मात्र 8 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पचलखी पंचायत को सीवान सदर अंचल में करने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य ने दो वर्ष पूर्व मंत्री एवं सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखा था सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विभाग में आदेश लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पचलखी पंचायत को सीवान सदर अंचल में करने हेतु कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*439. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के दरभंगा सदर विधान सभा के सदर प्रखंड अन्तर्गत पड़ने वाली सभी आठों पंचायत यथा कंसी, शिशो पूर्वी, शिशो पश्चिमी, शहबाजपुर रानीपुर, सारमोहम्मद वासदेवपुर एवं कबीरचक में ''जल-नल योजना'' का 80 प्रतिशत बंद/क्षतिग्रस्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आठों पंचायत के ''जल-नल योजना'' को दुरूस्त कर सुचारू रूप से आमजनों के लिये जलापूर्ति करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*440. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा सदर विधान सभा क्षेत्र के छपरा नगर निगम में पर्याप्त जमीन एवं रिविलगंज नगर पंचायत में 11 डिसमिल जमीन उपलब्ध है, इसके बावजूद अभीतक वहाँ सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर निगम एवं नगर पंचायत में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऋण देना

*441. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 28 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''गव्य और मछली पालन के विकास में सहयोग नहीं कर रहे बैंक'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के विकास में कृषि का 19.8 प्रतिशत योगदान है, जिसमें 9.9 प्रतिशत फसल, पशुपालन का 6.6 प्रतिशत एवं मछली पालन (फिशिंग एंड एक्वा कल्चर) का 1.8 प्रतिशत योगदान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार के द्वारा दिये गये लक्ष्य के विपरीत बैंक ने गव्य विकास के लिये मात्र 14.17 प्रतिशत एवं मछली पालन के लिये 3.21 प्रतिशत ही ऋण उपलब्ध कराया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बैंक से सहयोग प्राप्त कर गव्य विकास एवं मछली पालन करने वाले किसानों के लिये समुचित ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*442. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड एवं मसौढ़ी प्रखंड में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण 5 वर्ष पूर्व अवस्थित चापाकल सूख गया है, जिसके चलते भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिये काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार भू-जलस्तर के अनुरूप चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण कराना

*443. डॉ0 सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिहारशरीफ नगर निगम के वार्ड नम्बर 12 में इमादपुर स्थित छठ घाट के दक्षिण भाग में नाला नहीं रहने के कारण आस-पास के घरों का गंदा पानी उक्त छठ घाट में जमा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त छठ घाट में गंदा पानी जमा हो जाने के कारण आमलोग को संक्रमण के साथ-साथ पूजा करने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त छठ घाट के दक्षिण में ड्रेनेज का निर्माण कराते हुये सौन्दर्यीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना पूर्ण करवाना

*444. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वजीरगंज विधान सभा क्षेत्र के मानपुर प्रखंड अन्तर्गत सभी 12 पंचायतों में नल-जल का किया गया कार्य अधूरा है और जो कार्य किया गया है, उसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की है, जिसके कारण आमजनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना को पूर्ण करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*445. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखंड के भावलपुर ग्राम में खाता नम्बर 352, सर्वे नम्बर 2557, तौजी नम्बर 2343, रकबा 6 एकड़ 1 डिसमील सरकारी जमीन पर आवासित भूमिहीनों को अंचलाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा जमीन से जबरन हटाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि पर आवासित भूमिहीन द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2024 को सारण जिलाधिकारी के यहाँ से अंचलाधिकारी के खिलाफ आवेदन देकर उक्त स्थल पर पर्चा देने का अनुरोध किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सरकारी जमीन पर रह रहे भूमिहीनों को भूमि का पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*446. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड गडहनी के काउप पंचायत के ग्राम-निर्मल नगर, पडरिया, गडहनी में 150 भूमिहीन गरीब महादलित अतिपिछड़ी परिवार विगत 20-30 वर्षों से झोपड़ीनुमा घर में रह रहे हैं, लेकिन अभीतक उन्हें जमीन का पर्चा निर्गत नहीं किया गया है, जिसके कारण सरकारी लाभ से वंचित हैं, जबकि 22 बीघा जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार निर्मल नगर, पडरिया, गडहनी में बसे परिवारों को जमीन का पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपस्थिति सुनिश्चित कराना

*447. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर में पशु चिकित्सालय है, जिसका भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण पशुपालकों को पशु इलाज एवं मृत पशुओं के पोस्टमार्टम में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा चिकित्सकों की उपस्थिति नगण्य रहती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त अस्पताल के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार एवं चिकित्सकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*448. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत झाझा बाजार से NH 333 पथ गुजरती है, जिसमें कर्पूरी चौक के पास उक्त पथ के पूर्वी किनारे में RCC नाला नहीं होने के कारण वहाँ बसे भलुआ एवं चरघरा मुहल्ला के पानी का निकास नहीं हो पाता है, जिससे उक्त मुहल्लों में सालों भर पानी भरे रहने से आमजनों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर RCC नाला का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एकरूपता लाना

*449. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी निबंधन कार्यालय में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के द्वारा चालान तथा ई0 स्टांप की बिक्री निबंधन विभाग के निर्देशानुसार 0.5 प्रतिशत कमीशन (अधिकतम पांच सौ। रु0 मात्र) के साथ की जाती है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन क्रय या बाजार में वेंडर द्वारा ऑनलाइन बिक्री बिना कमीशन के की जा रही है, जिससे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकांश काउन्टर घाटे में है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त की बिक्री में एकरूपता लाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*450. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्यस्तर पर विभागीय मंत्री के पीत-पत्र-गैर स0प्रे0सं0-50, दिनांक 25 जनवरी, 2024 द्वारा समितियों के सफल संचालन एवं व्यावसाय विकास के लिये कार्यरत पैक्स कर्मियों/प्रबंधकों को ससमय उचित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पदाधिकारियों की एक विशेष कमिटी का गठन करके रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पीत-पत्र के आलोक में कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*451. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 जून, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''शहर में अतिक्रमण हटाने के दूसरे ही दिन फिर से काबिज हो गये अतिक्रमणकारी'' के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत नगर निगम, बेतिया के प्रमुख चौक-चौराहा जैसे-स्टेशन चौक से मोहर्रम चौक, आलोक भारत चौक से गॉरमेन्ट मेडिकल कॉलेज आदि तक नगर निगम, बेतिया प्रशासन द्वारा बार-बार अतिक्रमण हटाने के बावजूद पुनः अतिक्रमणकारी काबिज हो जा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक बार एक स्थान पर अतिक्रमण को खाली कराने में नगर निगम, बेतिया प्रशासन को लगभग 50 हजार रुपये सरकारी धनराशि का व्यय करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*452. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में किसी नगर परिषद् को नगर निगम का दर्जा देने के लिये उस नगर परिषद् की न्यूनतम आबादी दो लाख होनी चाहिए.;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिला स्थित दानापुर नगर परिषद्, की आबादी 3 लाख से भी ज्यादा है और यह नगर निगम का दर्जा प्राप्त करने की सभी अहर्ता को पूरा करता है, परन्तु अबतक उक्त नगर परिषद् को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया गया है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दानापुर नगर परिषद् को नगर निगम बनाने को विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*453. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में अप्रैल महीना से ही अबतक रिकार्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण पानी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है तथा नल-जल योजना हैण्डपाइप फेल होने से पटना जिला के फुलवारी शरीफ विधान सभा अंतर्गत कोरियावा, अधप, सकरैचा और सुईठा महादलित टोला में पानी की काफी किल्लत है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महादलित टोला में पी0एच0इ0डी0 से नए हैण्डपाईप लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*454. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगांव और पीरपैंती विधान सभा के अंतर्गत नल-जल योजना से बने जल मीनार से पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण प्रायः बोरिंग फेल हो चुका है, जिसके कारण पीरपैंती एवं कहलगांव प्रखंड के लोगों को भयंकर जल संकट उत्पन्न हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार पीरपैंती और कहलगांव प्रखंड के विभिन्न गांवों व टोलों में पर्याप्त मात्रा में हैंडपम्प लगाना चाहती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना

*455. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत नगर पंचायत बौंसी के मचबनिया, कटरा एवं पिपरा गांव में अवस्थित तालाव (बांध) जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने के कारण आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तीनों तालाब (बांध) का सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*456. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि इस वर्ष राज्य में अप्रैल महीने से ही भीषण गर्मी के कारण पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है जिससे साधारण चापाकल फेल होने एवं हर घर नल जल योजना के तहत बक्सर जिला के डुमराँव विधान सभा क्षेत्र के बेलांव दलित टोला, अरियाँव मुसहर टोली, नोनियापुर, नेनुआँ हरनाहा सहित अधिकांश महादलित टोलों में पीने का पानी नहीं पहुँचने के कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महादलित टोलों में नये चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*457. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिले के दो पंचायत बुधैली बनकर तथा उरैन में पाइप द्वारा जल आपूर्ति करना है, परंतु अभीतक जल की आपूर्ति पूर्ण रूप से हर टोला में नहीं की गई है, तथा जो कार्य कराये गये हैं, वो मानक के अनुरूप नहीं है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों पंचायतों के सभी वार्ड में पानी उपलब्ध करवाने तथा मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*458. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 01 जुलाई, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "2018 से मिल रहा आश्वासन पर मुख्य समारोह स्थल मार्ग की नहीं बदली सूरत" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज नगर परिषद् क्षेत्र में विक्रमगंज-सासाराम मुख्य सड़क से इंटर उच्च विद्यालय विक्रमगंज तक जाने वाली सड़क विगत् पाँच वर्षों से जर्जर है, जबकि यह सड़क विक्रमगंज स्टेडियम जाने का मुख्य मार्ग है, जहां आये दिन समारोह का आयोजन होते रहता है, जिसमें आने वाले लोगों को सड़क जर्जर रहने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला का निर्माण

*459. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत नगर परिषद् रामनगर के वार्ड संख्या-01 एवं 02 में विवेक उपाध्याय, दीपक उपाध्याय एवं राजन उपाध्याय के घर होते हुये सज्जान बैठा के घर तक PCC सड़क एवं नाली का निर्माण नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में सड़क पर जगह-जगह भारी जल-जमाव हो जाता है, जिससे आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*460. श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-119 गरखा (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एन०एच० 19 निर्माण के क्रम में सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के रामपुर आमी मौजा में खाता सं० 387, 379 खेसरा सं० 710, 710/2012 पर लगे आम के बगीचा का अधिग्रहण विगत वर्ष पूर्व किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूस्वामी श्री सर्वदेव सिंह द्वारा वाउचर सहित सभी वांछित कागजात दिनांक 2 जून, 2020 को भू-अर्जन कार्यालय, छपरा में जमा किये जाने के पश्चात् भी अभीतक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-01 में वर्णित जमीन एवं पेड़ की मुआवजा राशि का भुगतान कराते हुये विलंब के लिये दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला-सह-सड़क का निर्माण

*461. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड सं० 38 एवं 39 में स्थित डॉ० अभिलाष सिंह के घर से चाणक्य नगर होते हुये ओमार बालिका उच्च विद्यालय के सामने मुख्य सड़क तक जाने वाली 2 कि०मी० लम्बी सड़क जर्जर है, साथ ही सड़क के किनारे नाला का निर्माण नहीं होने से आये दिन उक्त सड़क पर जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, जिससे उक्त वार्ड के स्थानीय निवासियों एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त नाला-सह-जर्जर सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*462. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया अंचल में भूमि जमाबन्दी हेतु किये गये ऑनलाइन आवेदन को बिना अभियुक्ति बताये अंचल अधिकारी द्वारा आवेदनों को खारिज कर भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर किये जाने पर विवश किया जाता है, जिसके कारण भूमिधारियों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामाना कराना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये ससमय आवेदन का निष्पादन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जांच करना

*463. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुल्तानगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बेलसंड प्रखंड के मौजा-पचनौर के ग्राम मौलानगर में आवासित स्थायी भूमिहीन अल्पसंख्यक परिवार को बागमती परियोजना की भूमि सरकार द्वारा पर्चा के माध्यम से 10 वर्ष पूर्व आवंटित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवंटित भूमि को मौनानगर के स्थानीय भू-माफिया द्वारा पर्चाधारी को डरा-धमका कर जबरन भूमि का खरीद-फरोख्त किया जा रहा है जिसके कारण गरीब अल्पसंख्यक पुनः भूमिहीन एवं आवासहीन होते जा रहे है, जबकि आवंटित भूमि को नियमानुसार खरीद-बिक्री नहीं किया जा सकता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ग्राम मौलानगर में उक्त भूमि का पिछले तीन वर्षों में जमीन की खरीद बिक्री की जांच कराते हुये दोषियों पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का भुगतान

*464. श्री अली अशरफ सिद्दीकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के हर घर नल का जल योजना के तहत पम्पचालकों को मानदेय पर रखा गया है, परन्तु पिछले तीन वर्षों से उनको मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पम्पचालकों को मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*465. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी(अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि NH-19 निर्माण के क्रम में सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखण्ड के रामपुर आमी मौजा में खाता सं० 170, खेसरा सं० 692 एवं 695 पर लगे आम के बगीचा का अधिग्रहण विगत दस वर्ष पूर्व किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि भू-स्वामी श्री कमल कुमार सिंह एवं श्री अभय कुमार सिंह द्वारा वांछित सभी कागजात सात वर्ष पूर्व भू-अर्जन कार्यालय, छपरा में जमा किये जाने के पश्चात् खेसरा सं० 692 पर लगे आम के पेड़ का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया, परन्तु जमीन का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खेसरा सं० 692 के जमीन का तथा खेसरा सं० 695 के जमीन एवं पेड़ का मुआवजा राशि का भुगतान कराते हुये विलंब के लिये दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वीकृति देना

*466. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सिवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना का अद्यतन दर पुनरीक्षित कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रबंध निदेशक बुडको, पटना द्वारा पत्रांक 4524, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 के माध्यम से विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु अबतक विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त योजना का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराते हुये कार्यारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना चालू करना

*467. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा 'हर घर नल का जल' योजना के तहत सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड योगापट्टी के दोनवार एवं लौरिया के दनियाल परसौना पंचायत सहित लगभग 30 पंचायतों में भी नल-जल योजना अन्तर्गत नल से जल प्राप्त नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों ही प्रखण्डों में इसकी जाँच कराकर खराब पड़े नल-जल योजना को शत-प्रतिशत चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*468. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट नगर पंचायत के जोकीहाट कॉलेज चौक से मदरसा चौक होते हुये मुख्य बाजार जोकीहाट तक नाला नहीं होने के कारण बाजार में सालोभर पानी जमा रहता है, जिसके कारण आमजनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*469. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि हर घर नल जल योजना अन्तर्गत मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड के बरियारपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 1, बरियारपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 5 के 40 से 45 घरों में तथा कररिया पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 2 के 50 घरों में एवं सदर प्रखंड के महुली पंचायत के वार्ड संख्या 9, 14 तथा 10 के 30 से 40 घरों में तथा श्रीमतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 सुतुरखाना में 40 घरों के परिवार उक्त योजना के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर नल-जल योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*470. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत अंचल कार्यालयों में भूमिहीनों को वासगीत एवं बन्दोवस्त पर्चा निर्गत करने हेतु 1000 (एक हजार से अधिक) से आवेदन पत्र लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार इसे निष्पादित कराकर भूमिहीनों के बीच वासगीत एवं बन्दोवस्त पर्चा वितरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*471. श्री राम सूरत कुमार (क्षेत्र संख्या-89 औराई)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई एवं कटरा प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण किसानों को आलू, अन्य सब्जियों एवं फलों को औने-पौने दाम में बेचने के लिये विवश होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण कराना

*472. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पं० चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर पंचायत के बगहा वाल्मीकिनगर मुख्य पथ एन०एच० 64, 3 आर०डी० पर 50 वर्ष पूर्व बना पुल काफी जर्जर हो गया है, साथ ही पुल 10 फीट चौड़ा होने के कारण वहां जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुल का चौड़ीकरण करते हुये पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

*473. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली नगर परिषद् वासियों को सम्राट अशोक भवन के अभाव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रशिक्षण जन-जागरूकता या किसी प्रकार की संगोष्ठी के लिये सरकारी विद्यालय अथवा महंगे निजी विवाह भवनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उन्हें कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार नियमानुसार बरौली नगर परिषद् में कबतक सम्राट अशोक भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*474. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 विक्रम)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत मरौना अंचल स्थित ग्राम-बासखोड़ा में श्री राज कुमार यादव, रमेश कुमार यादव एवं शिव कुमार यादव, पिता-स्व0 यदुवंशी यादव, विभागीय पत्रांक-2931 रा0, दिनांक 04 नवम्बर, 2023 के विरुद्ध खाता संख्या-190, खेसरा संख्या-321, 347, 348, 349, 362, 363, 380 आदि में करीब 1 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमित कर कृषि कार्य किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित अतिक्रमित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वीकृति देना

*475. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखंड का पूर्वी क्षेत्र प्रखंड मुख्यालय से लगभग 20 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड में केवल एक ही पशु चिकित्सालय है, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र से प्रखंड मुख्यालय तक बीमार होने पर पशुओं को लाना बहुत मुश्किल होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बोधगया के पूर्वी क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*476. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ प्रखंड अंतर्गत तुंगी पंचायत में मंजवे गाँव में पान की खेती करने वाले किसानों को वर्षा नहीं होने के कारण पान की फसल का भारी नुकसान हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र के पान-कृषक के पान बेरठा (झोपड़ीनुमा छायादार संरचना) में आग लगने से भी पान कृषकों को काफी क्षति हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच करवाकर उक्त कृषकों को हुई क्षति का मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा देना

*477. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 29 जनवरी, 2019 को घोषणा की गयी थी कि राज्य में पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समतुल्य डी0 ए0 सी0 पी0 (डायनेमिक एस्योरड कैरियर प्रोग्रेसन) और सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 67 वर्ष का लाभ सहित सभी सुविधा दिया जायेगा, परंतु अभी तक पशु चिकित्सकों को यह सुविधा नहीं दी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सक एम0 बी0 बी0 एस0 डॉक्टर के सममुल्य सभी सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मापी कराना

*478. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखण्ड अन्तर्गत बिहार सरकार की आम जमीन सैकड़ों एकड़ में है, परंतु जमीन चिन्हित नहीं रहने के कारण उक्त अंचल में सरकारी भवन एवं स्टेडियम मैदान बनवाने हेतु जमीन नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में बिहार सरकार की जमीन चिन्हित कर नापी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*479. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर पंचायत के अधीन नवीनगर पैक्स गठित है, जिसके अन्तर्गत भंडारण के लिए गोदाम भी निर्मित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 15 वर्षों से नवीनगर पैक्स का चुनाव नहीं कराए जाने के कारण इसके क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर, कोचडिहरा, जयनगर, गुर्दी, सम्या सहित दर्जनों गांवों के किसान पैक्स की सुविधाओं से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विगत 15 वर्षों से उपरोक्त पैक्स का चुनाव नहीं कराए जाने का क्या औचित्य है ?

भवन का निर्माण

*480. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोरवा विधान सभा क्षेत्र के अधीन ताजपुर एवं शाहपुर पटोरी में नगर परिषद् के गठन की स्वीकृति मार्च, 2021 में हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि गठन के तीन वर्ष बाद भी उपरोक्त नगर परिषदों में नगर भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे नगर परिषदों का कार्य प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त नगर परिषदों में नगर भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*481. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत बगहा नगर परिषद् में बस स्टैंड नहीं होने से आमजन, महिलाएँ, बच्चों को सड़क किनारे स्थित बस स्टैंड से बस पकड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बरसात के दिनों में यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बस स्टैंड निर्माण हेतु जमीन उपलब्धता के लिये नगर परिषद्, बगहा द्वारा अंचलाधिकारी, बगहा-01 से बार-बार पत्राचार के माध्यम से आग्रह किया जाता रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में बगहा नगर परिषद् में बस स्टैंड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*482. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर तथा एकंगर प्रखंड में प्रतिनियुक्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पिछले दो वर्षों से जन-वितरण प्रणाली दुकानदारों को कम वजन में राशन उपलब्ध करा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस्लामपुर प्रखंड में प्रतिनियुक्त आपूर्ति पदाधिकारी का ससुराल इस्लामपुर में ही है जिसके कारण रिश्तेदारों के बल पर अवैध रूप से जन-वितरण दुकानदार पर रौब भी जमाया करते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड में नामित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नम्बर खोजने के बहाने राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अवैध रूप से हो रहे राशन की कालाबाजारी की जांच कराकर दोषी पर कबतक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*483. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में औसतन इस वर्ष बहुत कम वर्षा हुई है, काफी कम अनुपात में वर्षा होने एवं भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण जिले के विभिन्न प्रखंडों राघोपुर, बिदुपुर, महुआ, चेहराकला, जन्दाहा, महनार सहित सम्पूर्ण जिला में अभी से ही पानी पीने का समस्या खड़ी हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नल-जल योजना से जो पीने की पानी मुहैया कराया जा रहा है , उसमे अधिकतर लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिला में सर्वेक्षण कराकर पानी पीने की समस्या को दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*484. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला में चांदनी चौक गौसाला एवं बनगांव गौसाला जो व्यवस्था के आभाव में अस्तित्व विहीन हो गया है, जिसके कारण गौसाला में मवेशी को रखना संभव नहीं हो पा रहा है तथा पशु को सहरसा से मधेपुरा शिफ्ट किया जाता है एवं गौसाला की जमीन पर भी कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार गौसाला जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर सुचारू रूप से संचालित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुव्यवस्थित करना

*485. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया, कल्याणपुर प्रखंड सहित पूरे राज्य में नल-जल योजना की देख-रेख का काम पिछले वर्ष लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सरकार द्वारा दिया गया है, परंतु विभाग द्वारा उक्त जिला में अभीतक खराब पड़ी नल-जल योजना को दुरूस्त नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर एक समय-सीमा निर्धारित कर उक्त जिला में सभी खराब पड़ा नल-जल योजनाओं को ठीक कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पक्कीकरण कराना

*486. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं०-7 में अवस्थित एन०एच०, 104 से कमली साह के घर तक की सड़क जर्जर अवस्था में रहने के कारण आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*487. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111, गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में डोर डिलेवरी के माध्यम से 50-50 किलो की बोरे में आनाज गोदाम से जन-वितरण प्रणाली के विक्रेताओं तक पहुँचता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के गोरेयाकोठी एवं बसंतपुर प्रखंड में राज्य खाद्य निगम के सहायक गोदाम प्रबंधकों द्वारा गोदाम में रिवेगिंग कर डीलरों को 42 से 45 कि०ली० वजन के गेहूँ और चावल का बोरा डोर डिलेवरी के माध्यम से ट्रान्सपोटरों द्वारा पहुँचाया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में हो रही अनियमितता को रोकने एवं इसके लिये दोषी सहायक गोदाम प्रबंधकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*488. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा के पंचायत जगदीशपुर के ग्राम-चनकप में दिनांक 28 जून, 2024 को पाँच अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मकानों को अतिक्रमण के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा तोड़कर पूर्णत: हटा दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उजाड़े गये पाँचों परिवार के लोग भीषण गर्मी और बारिश में तंबू के नीचे जीवन-यापन करने को विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उजाड़े गये पाँचों परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*489. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत नगर पंचायत, एकमा बाजार वार्ड नं० 19 ग्राम-हेकाम टोले बनकट में अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जन-जाति की अधिक आबादी रहने के बावजूद भी उक्त ग्राम में आने-जाने के लिये कोई पक्की सड़क नहीं है, जिसके कारण आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम को संपर्क सड़क प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*490. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत नगर परिषद् बरौली के बरौली बाजार में एक बहुत ही छोटा एवं पुराना शौचालय है जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे व्यवसायियों एवं ग्राहकों को शौच आदि में अत्यंत असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बरौली बाजार में महिला पुरूष के लिये अलग-अलग बड़ा साफ-सुथरा डीलक्स शौचालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*491. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड अन्तर्गत हरिओ पंचायत के गोविन्दपुर मुसहरी और कहारपुर गाँव के 250 से अधिक महादलित परिवार कोशी नदी के कटाव से घर विहिन होकर करीब पाँच साल से खाना-बदोस की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कटाव पीड़ित महादलित परिवार को जमीन मुहैय्या करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*492. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला निबंधन कार्यालय अररिया के पत्रांक 316, दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा अंचलाधिकारी रानीगंज (अररिया) को जमाबंदी संख्या 961 को निरस्त हेतु पत्र भेजा गया है, परन्तु अंचल पदाधिकारी द्वारा उक्त जमाबंदी को अबतक निरस्त नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की व्यवस्था

*493. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री चापाकल योजना एवं अन्य सरकारी योजना से लगाये गये सैंकड़ों चापाकल खराब है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच एवं खराब चापाकलों को सर्वेक्षण कराकर खराब चापाकल को उखाड़कर नया चापाकल लगाकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला की सफाई

*494. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद् के वार्ड नं०12 में रायल सिटी लेन नं० 4 अवस्थित मदर होप प्ले स्कूल से बालाजी अपार्टमेंट होते हुये सुधा बुथ के पास निकलने वाली नाला की सफाई विगत पाँच वर्षों नहीं हुयी है, जिसके कारण नाला जाम हो गया है तथा नाला का पानी सड़क पर जमा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाला की सफाई/उठाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*495. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संजय गाँधी गस्य प्रौधौगिकी संस्थान, पटना में प्रयोगशाला परिचारी विगत 10 वर्षों से पदस्थापित है, परन्तु अभीतक इन्हें प्रान्नति नहीं दी गयी है, जबकि अधिसूचना सं० 17975, दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के आलोक में संकल्प सं० 169, दिनांक 5 जनवरी, 2024 द्वारा कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) प्रन्नोति सोपान राज्य सरकार में प्रभावी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त संस्थान में कार्यरत प्रयोगशाला परिचारी को प्रन्नोति एवं वेतन संरचना देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला एवं पुल का निर्माण

*496. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत मैरवा नगर पंचायत के मंझौली चौक पर सड़क के दोनों ओर नाला पर बना पुल ध्वस्त हो जाने के कारण चौक पर दोनों तरफ खुला गड्डा है, जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर पंचायत का मुख्य नाला का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे नाला का पानी सड़क पर फैला रहता है, जिससे आमजनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नाला एवं पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*497. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)- क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत पहलेजा घाट स्थित पशु चिकित्सा केन्द्र का अपना भवन नहीं रहने के कारण पशुपालकों एवं पशु चिकित्सा कर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित पशु चिकित्सा केन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोरिंग कराना

*498. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के काशीचक प्रखण्ड अन्तर्गत खखरी पंचायत के डेदगाँव गाँव के महादलित टोला वार्ड सं0 13 में छ: महीने पूर्व बोरिंग खराब हो जाने के कारण नल-जल योजना अंतर्गत पानी की सप्लाई पूर्णत: बंद हो जाने से पीने के पानी का घनघोर संकट उत्पन्न हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड के महादलित टोला में पानी पीने हेतु कबतक नया बोरिंग करवाकर पेयजल संकट को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*499. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमंडल में 2000 (दो हजार) रिजेक्टेड म्यूटेशन लंबित है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसके त्वरित निष्पादन हेतु ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला की उड़ाही एवं पुनर्निर्माण

*500. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला स्थित न्यू कर भवन, वीरचंद पटेल पथ से पूरब की ओर जाने वाली सड़क ईस्ट गार्डनर रोड के दोनों किनारे स्थित नाला को स्थानीय लोगों द्वारा भर दिया गया है, जिससे वहाँ हमेशा जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाला की उड़ाही कराते हुये पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*501. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अंतर्गत पुराना वार्ड सं0 4, 5, 6 एवं 7 में नल-जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति नहीं होती है, जिसके कारण उक्त वार्ड के लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में नल-जल योजना से पीने के पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्ति

*502. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र में शहरवासियों को जल-जमाव से निजात दिलाने हेतु वर्ष 2023 में कैबिनेट द्वारा राशि स्वीकृत की गयी थी, परंतु अबतक शहरवासियों को जल-जमाव से निजात नहीं मिल पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्वीकृत राशि से शहरवासियों को जल-जमाव से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*503. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के गोगरी अंचल अंतर्गत मौजा भोजुआ एवं चांदपुर अंतर्गत संपर्क पथ निर्माण हेतु किसानों से बिना सहमति के खाता 39, खेसरा 338, रकबा 1 एकड़ 12 डिसमिल सहित अन्य जमीन पर सड़क-सह-पुलिया का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उक्त निर्माण में गई जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन का मुआवजा किसानों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*504. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी शहर के अन्तर्गत अवस्थित वाटसन कैनाल (नाला), राज कैनाल (नाला) एवं किंग्स कैनाल (नाला) का जीर्णोद्धार कार्य पांच वर्ष पूर्व शहर के जल निकासी के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, जिसे 2022-23 तक ही पूरा करना था, परन्तु निधि के अभाव में अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उपर्युक्त तीनों नालों को आपस में जोड़ते हुए जीर्णोद्धार कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुकान खोलना

*505. श्री शम्भू नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रहमपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रम्हपुर प्रखंड अन्तर्गत पंचायत भदवर के ग्राम-कोदई में जन-वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है, जिसके कारण उक्त ग्राम की जनता को राशन हेतु 5 से 6 कि0मी0 पैदल चलकर भदवर जाना पड़ता है, जबकि कोदई ग्राम की आबादी 1000 है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोदई ग्राम में जन-वितरण प्रणाली की दुकान खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

टंकी चालू कराना

*506. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत भवानीपुर खट्टी पंचायत वार्ड संख्या-11 विनोद टोला में निशिकांत मण्डल के दरवाजे पर स्थापित पानी टंकी विगत 1 महीने से बंद है और उसी टोले के तारा मण्डल के दरवाजे पर स्थापित टंकी से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बंद पानी टंकी को चालू कराने और गंदे पानी की जगह शुद्ध पानी की आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*507. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के 55, कोचाधामन विधान सभा अंतर्गत क्षेत्राधीन प्रखंड-कोचाधामन में बरबट्टा से महादेवी-दीघी जाने वाली पथ के दोनों और पथ के निर्माण कार्य से पानी सप्लाई पाइप टूट गई है, जिसके कारण पानी की सप्लाई विगत् छ: महीनों से बंद पड़ा है, जिससे उक्त प्रखंड के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पानी सप्लाई पाइप का मरम्मत कार्य कराते हुये जल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*508. श्री विद्यासागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् क्षेत्र के स्टेशन चौक से बड़ा शिवालय, ट्रेनिंग स्कूल होते हुये आर०डब्लू०डी० सड़क तक जाने वाली पथ एवं नाला जर्जर होने के कारण नाले का पानी सड़क के ऊपर सालों भर जमा रहता है, जिससे स्कूल जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित सड़क का चौड़ीकरण के साथ दोनों ओर नाले का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*509. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत फरकिया के वार्ड नं० 1 कालाबँध, संथाली नया टोला, वार्ड नं०-8 तथा वार्ड नं०-10 में पानी का पाइप लाइन पूरी तरह से नहीं बिछाया गया है साथ ही वहां पानी टंकी की भी आवश्यकता है । वार्ड नं० 05 रहिका टोला तथा वार्ड नं० 11 नवटोली राय टोला में पानी टंकी काफी दूर है और जनसंख्या अधिक है जहां सुचारू रूप से जलापूर्ति के लिये अतिरिक्त पानी टंकी की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उल्लिखित वार्डो में 'हर घर नल का जल' योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिये नया पाइप लाइन बिछाने और अतिरिक्त पानी टंकी का निर्माण करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?.

बाजार उपलब्ध कराना

*510. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के पश्चात् बिहार के कृषकों द्वारा उस अनुसंधान के अनुसार वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जाती है, परंतु नीरा एवं जड़दालू आम सहित अन्य उन्नत कृषि उत्पादों के विपणन के लिये समुचित रूप से बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषकों को उत्पादों का समय पर न तो विपणन हो पाता है और न ही उसका उचित मूल्य मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार वैज्ञानिक तरीके से होने वाले उन्नत कृषि उत्पादों के विपणन के लिये सुलभ बाजार उपलब्ध कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*511. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता विधान सभा क्षेत्र के सौढ उत्तरी पंचायत के सतीश नगर में 54 परिवार भूमिहीन है, जो कि एन०एच 31 और रेलवे

के बीच बांध पर बसे हैं और गोगरी प्रखंड के पैंकात पंचायत बिरवास ग्राम में कटाव से पीड़ित 130 भूमिहीन परिवार के बीच अबतक जमीन का पर्चा वितरण नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें गुजर बसर करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा सरकारी लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, इन कटाव से पीड़ित परिवारों एवं भूमिहीन परिवारों के बीच जमीन का पर्चा वितरण का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*512. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड अतरी तथा प्रखंड नीमचक बथानी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में चापाकल मरम्मती का कार्य टेंडरधारी संवेदक के द्वारा कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त टेंडरधारी संवेदक को चापाकल मरम्मती का राशि का भुगतान आजतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संवेदक को राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*513. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बोचहां विधान सभा क्षेत्र के अंचल मुशहरी अन्तर्गत तरौरा पोखर, दिघरा पोखर के पास आवासित लोगों को जल-जीवन हरियाली के तहत अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया है, जिसके कारण भूमिहीन गरीब लोग खानाबदोस की जिन्दगी जीने को बिवश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर बसे लोगों को भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्लांट निर्माण कराना

*514. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद् क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर परिषद् में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*515. श्री मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा नगर परिषद् के रानीसती मंदिर से नेहरू चौक होते हुये महावीर चौक तक की सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण हेतु सचिव नगर विकास विभाग बिहार, पटना द्वारा पूर्णियाँ नगर परिषद् को दो वर्ष पूर्व पत्र लिखा गया था, लेकिन आजतक उक्त स्थान पर सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चौक पर नाला निर्माण कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनिवार्यता को खत्म करना

*516. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में राशन कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के प्रत्येक राशन उपभोक्ताओं को सरकार ने यह निर्देश भी दे रखा है कि जो उपभोक्ता, डीलर के पास जाकर मशीन पर अपना अंगूठा का निशान जुलाई, 2024 तक नहीं लगायेगा, उनको राशन से वंचित कर दिया जायेगा ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार के गरीब मजदूर बिहार से बाहर अन्य राज्यों के कल-कारखानों में कार्यरत हैं, जिन्हें तय समय-सीमा के अंदर अपने घर वापस आने में कठिनाई हो रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गरीब मजदूरों को राशन डीलर के पास जाकर अंगूठे का निशान लगाये जाने की अनिवार्यता को खत्म करने की विचार रखती है ?

निर्माण कराना

*517. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 जून, 2024 को प्रकाशित शीर्षक 'राज्य के सभी जिलों में नहीं बन पाये सहकार भवन' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा किसानों और पैक्स के सदस्यों को एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 7 प्रमंडलों एवं 20 जिलों में सहकार भवन की मंजूरी 2017 में दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी 4 प्रमंडलों एवं 6 जिलों में जमीन की अनुपलब्धता के कारण सहकार भवन का निर्माण नहीं होने से किसानों एवं पैक्स सदस्यों को सभी सुविधाएं नहीं मिल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे प्रमंडलों एवं जिलों में इसी वित्तीय वर्ष में सहकार भवन का निर्माण पूरा कर उसे संचालित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल देना

*518. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष गर्मी में पटना जिला के पालीगंज विधान सभा समेत पूरे प्रदेश में भू-जलस्तर क्रमश: नीचे जाने के कारण पेयजल की भीषण समस्या पैदा हुये और जिन गाँवों, टोलों या वार्डों में नल-जल योजना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, वहां पानी का भीषण संकट पैदा हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार राज्यों में पंचायत स्तर पर चापाकल आवंटित करने की पूरानी नीति को पुन: बहाल करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*519. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआंव के ग्राम-बनकट एवं ग्राम-नरौनी में लगभग 70-80 महादलित परिवार विगत 45-50 सालों से बसे हैं एवं फूस-खपरैल के मकानों में रहने को मजबूर हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में बसे लोगों में 11 लोगों का आवास योजना के तहत नाम स्वीकृत है, उक्त लोगों को जमीन का पर्चा निर्गत करने के लिये अंचलाधिकारी, अगिआंव द्वारा पत्रांक

860, दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से उप-समाहर्ता भूमि सुधार, भोजपुर को पत्र भी भेजा गया है, लेकिन अभितक जमीन का पर्चा निर्गत नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त ग्राम में बसे सभी महादलित परिवारों को जमीन का पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय बढ़ाना

*520. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में कार्यरत सभी किसान सलाहकारों का मानदेय ग्यारह हजार रुपये (11000) प्रतिमाह है, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त किसान सलाहकारों का मानदेय कबतक बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोरिंग देना

*521. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के अन्तर्गत परिहार एवं सोनबरसा प्रखंडों के सभी 47 पंचायतों में पानी का जलस्तर बहुत नीचे हो जाने से सभी लोग नल-जल जलापूर्ति योजना पर आश्रित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में कुल 32 जगहों पर जल आपूर्ति हेतु बोरिंग करना था, परन्तु अभी बोरिंग नहीं कराया गया है, जिससे इस विपदा की घड़ी में आमजनता को पीने का पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंडों में सर्वेक्षण कराकर बोरिंग स्थापित कर घर-घर नल का जल मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पक्की सड़क का निर्माण

*522. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं० 33 में जुलजुली मुख्य मार्ग से आदिवासी टोला होते हुये लोहागाछी, बंगाल सीमा तक, पक्की सड़क नहीं रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर पक्की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नौकरी देना

*523. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा ऑनलाइन TPDS सप्लाई चैन मैनेजमेंट एवं अधिप्राप्ति के क्रियान्वयन हेतु आउटसोर्सिंग के तहत 4G आइडेंटिटी सोलुशन प्राईवेट लिमिटेड एजेंसी का चयन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चयनित एजेंसी द्वारा कार्यरत ऑपरेटर व आईटी प्रबंधक को 2024 में भी 2014 में निर्धारित मानदेय का ही भुगतान किया जा रहा है तथा कार्यादेश के शर्तों के तहत एजेंसी ने ना ही कर्मियों के EPF का पैसा जमा किया और ना ही श्रम कानूनों का पालन किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चयनित एजेंसी पर अनुबंध की नियम व शर्तों का उल्लंघन किये जाने हेतु कार्रवाई करने तथा कार्यरत कर्मियों को पक्की नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनाना

*524. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखण्ड के रथौली पंचायत एवं सदुल्लहपुर पंचायत के गरीब भूमिहीन राशन कार्ड के अभाव में राशन से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में राशन कार्ड से वंचित गरीबों की जाँच कराकर राशन कार्ड कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण

*525. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद् क्षेत्र में एक भी आधुनिक सुविधायुक्त मुक्तिधाम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 50,000 की आबादी वाली नरकटियागंज नगर परिषद् में विद्युत् शवदाह गृह नहीं रहने के कारण शहर के आमजन परिजन की मृत्यु होने पर पारंपरिक तरीके से मृत परिजन का दाह संस्कार करते हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में नरकटियागंज नगर परिषद् में एक आधुनिक चार शैय्या वाला विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*526. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अंतर्गत अंचल खगड़िया में एन0 एच0-31 से नन्हकू मंडल टोला होते हुए मथार दियारा जाने वाली मार्ग का वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना से मिट्टी भरायी एवं ईंट सोलिंग का कार्य सड़क में कराया गया था, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल, खगड़िया द्वारा वर्तमान में पक्कीकरण कराया जा रहा है, परन्तु स्थानीय व्यक्ति द्वारा उक्त सड़क की जमीन को अपनी जमीन बताकर कार्य को अवरुद्ध कर दिया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इसकी जाँच एवं सड़क की नापी कराकर सड़क निर्माण में अवरुद्ध कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*527. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी अनुमंडल में एक भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं होने से उक्त क्षेत्र के किसानों को वैज्ञानिक विधि से कृषि कार्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर कृषि विज्ञान केन्द्र का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*528. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि यंत्रिकरण योजना के तहत 20 हजार से अधिक का लाभ लेने हेतु किसानों को भू-स्वामित्व प्रमाण देना अनिवार्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकांश किसानों के पास पूर्वजों के नाम से भूमि है, जिसका रसीद एवं अन्य कागजात उनके पूर्वजों के नाम पर ही है, जिसके कारण वे इस योजना से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वंशावली के आधार पर किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नल का जल देना

*529. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड-मुशहरी के ग्राम-पंचायत सहबाजपुर के वार्ड संख्या-02, 06 एवं 08 में सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल योजना से वंचित रखा गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल योजना पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*530. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत खरीक प्रखंड के सिंहकुंड में 53 घर और प्रैचा में एक सौ ज्यादा घर कोशी नदी के कटाव के कारण परिवार विस्थापित हो गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रैचा, सिंहकुंड के विस्थापित परिवार को अभीतक वासगीत पर्चा नहीं मिल पाया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वींकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विस्थापित परिवार को वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*531. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 19300, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 द्वारा राज्य में रिक्त पड़े पदों पर प्रोन्नति दिये जाने का विशेष प्रक्रिया तथा समय-सीमा दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित की गयी, जिसे पुनः ज्ञापांक 636, दिनांक 10 जनवरी, 2024 द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक विस्तारित किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में उपर्युक्त दोनों आदेशों की अवहेलना करते हुए पशु चिकित्सा सेवा सम्वर्ग के किसी भी चिकित्सक की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार पशु चिकित्सा सेवा सम्वर्ग के सभी पात्र चिकित्सकों को नियमित प्रोन्नति एवं उपर्युक्त निर्धारित विशेष प्रोन्नति का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू करना

*532. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2018 में बंद कर दिया है, जिससे प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बिहार राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*533. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा नगर परिषद् के जमन संस्थाल टोला से महंथबारी टोला तक की सड़क कच्ची है, जिसके कारण आमजनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी उपलब्ध कराना

*534. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत बेलदौर प्रखण्ड के बोबिल पंचायत के वार्ड नं० 10 के नल-जल योजना का पानी प्रारम्भ से ही गंदा आता है, जो आमलोगों के पीने को दूर घरेलू कार्य भी करने लायक नहीं है तथा जिसे पीने पर सैकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा बहाल करना

*535. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला में इटाढ़ी नगर पंचायत वर्ष 2023 में बना है, परन्तु बुनियादी सुविधाओं जैसे लाइन लगाना, नाली-गली का निर्माण, सी०सी०टी०वी०, शौचालय के अभाव में स्थानीय लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर पंचायत में बुनियादी सुविधा बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्य उपलब्ध कराना

*536. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे, कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर एवं रफीगंज में विगत 2 वर्ष से किसानों को ससमय एवं उचित मूल्य पर खाद्य नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार प्रखंड मदनपुर एवं रफीगंज में पर्याप्त मात्रा में ससमय एवं उचित मूल्य पर खाद्य उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पारिश्रमिक देना

*537. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में सहदेई बुजुर्ग प्रखंड अंतर्गत नयागांव पश्चिमी, चकफैज, सहदेई आदि पंचायतों के अन्तर्गत संचालित होने वाले नल-जल के ऑपरेटरों को विगत कई महीनों से पारिश्रमिक वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके एवं उनपर आश्रित परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों को नल-जल ऑपरेटरों के पारिश्रमिक वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला का निर्माण

*538. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज नगर परिषद् क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस चौक पर स्थित महाराणा प्रताप जी के मूर्ति के पास से बड़ई पट्टी, कमल यादव, प्रदीप केशरी, राजेश साह के घर होते हुये आर०डब्लू०डी० सड़क तक जाने वाली पथ एवं नाला जर्जर होने के कारण नाले का पानी सड़क के ऊपर सालों भर लगा रहता है, जिससे स्कूल जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित सड़क का चौड़ीकरण के साथ दोनों ओर नाले का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*539. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत रनवे पुरानी टोला में गरीब भूमिहीनों को पर्चा दिया गया है, पर्चाधारियों ने उक्त टोला का नाम लालू नगर रखा है, पर्चा भी लालू नगर के नाम से निर्गत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लालू नगर में कुछ लोगों को पर्चा नहीं दिया गया है, जबकि जमीन पर उनका दखल-कब्जा एवं आवासीय घर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लालू नगर में घर बनाकर रह रहे छूटे हुये गरीबों को पर्चा देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थान उपलब्ध कराना

*540. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना सहित पूरे राज्य के सभी शहरों में फुटपाथ बिक्रेताओं की जीविका को सुरक्षित रखने हेतु फुटपाथ बिक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विनियम) अधिनियम, 2014 लागू है, परन्तु इसका कार्यान्वयन नहीं होने के कारण पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उन्हें उनके स्थान से हटाया जाता है, जिससे उनकी जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अधिनियम का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन कराते हुये फुटपाथ बिक्रेताओं को विस्थापित करने से पहले उचित स्थल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*541. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड काराकाट, पंचायत-देव, ग्राम-देव में वार्ड सं० 02, 03, 04 एवं 05 में शुद्ध पेयजल हेतु हर घर नल का जल का कार्य सात निश्चय योजना के तहत कराया गया था, परन्तु उक्त पंचायत के वार्डवासियों को इस गर्मी में हर घर नल का जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं करायी जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत के वार्डवासियों को हर घर नल का जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*542. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 01 जून, 2024 के प्रकाशित शीर्षक 'बिस्कोमान आये 600 क्विंटल चना दाल में से 400 क्विंटल की हुयी कालाबाजारी' के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नेफेड की ओर से पूर्णियाँ, गुलाबबाग स्थित बिस्कोमान के माध्यम से पूर्णियां और कटिहार के लोगों के बीच रियायती दर पर बेचने के लिये आये करीब 600 क्विंटल चना दाल में से 400 क्विंटल चना दाल की कालाबाजारी की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा बिस्कोमान कंपनी के माध्यम से गरीबों के बीच वितरण के लिये 60 टन चना दाल भेजा गया था, जिसमें से 40 टन चना दाल अधिकारी द्वारा बाजार में बेच दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जाँच करते हुये दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पक्कीकरण कराना

*543. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर नगर परिषद् के वार्ड नं० 13 बरबिगहा में तथा वार्ड नं० 25 एवं 26 बुद्धानगर से रेवले स्टेशन तक की सड़क विगत 5 वर्षों में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिससे आमजन को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को नाला सहित पक्कीकरण कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*544. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री नल-जल योजना से संबंधित वार्ड/पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यों को देख-रेख, संचालन, रख-रखाव सहित नया कार्य पी०एच०डी० विभाग को करना है, परंतु विभागीय उदासीनता के कारण लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढाका अंतर्गत 15 लाख से कम राशि की दो दर्जन योजनाओं की निविदा को कागज में टेबल टेंडर दिखाकर बिना कार्य हुये राशि का अनियमित तरीके से बाँट लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी विभागीय स्तर से जाँच कर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने एवं नल-जल योजना को कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*545. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय नगर निगम

क्षेत्र में मेजर चन्द्र भूषण द्विवेदी द्वारा से अम्बेदकर चौक तक जानेवाली सड़क जर्जर रहने के कारण आये दिन वाहन दुर्घटना होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जर्जर सड़क का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*546. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत नगर परिषद्, बनमनखी एवं नगर पंचायत, जानकीनगर में जल निकासी के लिये मुख्य नाला का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे शहर में जल-जमाव के कारण नारकीय स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त दोनों नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने हेतु मुख्य नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चेकडेम का निर्माण

*547. श्री वीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ०जा०))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला में बागमती नदी बहती है, जो हथौड़ी से त्रिमुहानी तक 22 कि०मी० लम्बी है, जिसके बीच मछली उत्पादन हेतु चेकडेम का निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आंध्र प्रदेश में चेकडेम बनाकर मछली का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आंध्र प्रदेश के तर्ज पर मछली के उत्पादन हेतु हथौड़ी से त्रिमुहानी के बीच चेकडेम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*548. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड के पोहद्दी पश्चिमी पंचायत में आर्सेनिक युक्त जल के कारण पी०एच०ई०डी० विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना के तहत हर घर जल की आपूर्ति की गयी थी, परन्तु पोहद्दी पंचायत अन्तर्गत उक्त योजना के तहत वार्ड संख्या 10, 11, 12 तथा 8, 14 में नागरिकों को जलापूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में हर घर जल की आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वितरण कराना

*549. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ फसलों के लिये पूरे राज्य में एक ही किस्म की बीज उपलब्ध करायी जाती है, जबकि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जलवायु एवं मिट्टी में भिन्नता हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मिट्टी एवं जलवायु के गुणों के आधार पर बीजों का वितरण नहीं होने के कारण फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे राज्य के किसानों को लागत के अनुरूप फसलों का उत्पादन प्राप्त नहीं होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिटटी एवं जलवायु के आधार पर किसानों को बीजों का वितरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*550. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत सिकटा प्रखंड के बल्थर गांव में पिछले वर्ष बिना वैकल्पिक व्यवस्था के एक भूपति की जमीन के सामने की आम गैर मजरूआ जमीन को खाली कराने के लिये पुस्तैनी तौर पर बसे यहां दलित, मुशहर भूमिहीन परिवारों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया गया है, जिनकी आवासीय भूमि की व्यवस्था आजतक नहीं हो सकी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गांव में गैर मजरूआ जमीन से हटाये गये भूमिहीन परिवार जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*551. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला में टिकारी नगर परिषद् के वार्ड नं० 13 अंतर्गत माखपा में एक भी पार्क नहीं होने से यहां की शहरी आबादी को स्वास्थ्यवर्द्धक क्रिया-कलाप जैसे टहलना, घुमना आदि और बच्चों को खेलने-कूदने, चहलकदमी आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर पार्क का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण कराना

*552. डॉ० सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिहारशरीफ नगर निगम के वार्ड नं० 28 में पंडित नगर मुहल्ला में बिजली ट्रांसफॉर्मर से प्राइमरी स्कूल रेलवे कॉलनी के निकट तक की सड़क जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहने के कारण आस-पास के घरों के नाला का पानी उक्त सड़क पर जमा रहने के कारण आमजन महामारी से प्रभावित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मुहल्ला में ड्रेनेज सिस्टम सहित सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*553. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत बाँका प्रखंड के भागलपुर दुमका मेन सड़क से ढाकामोड़ बाँका मुख्य सड़क दुर्गा मंदिर होकर जाती है, जो अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसका खाता सं० 363, खेसरा सं० 595 है, जिसके कारण आमजनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर आवागमन सूचारू रूप से बहाल करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*554. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद् क्षेत्र में आवासित भूमिहीन लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह जाते है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर उक्त नगर परिषद् में रह रहे लोगों को भूमि उपलब्ध कराकर भूमि का वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गली-नाली का निर्माण

*555. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के नगर पंचायत-कोचस के वार्ड नं० 07 के गली नं० 03 में बद्री सिंह के घर से बहादुर शाह के घर होते हुये सुरेश साह के घर तक गली-नाली का निर्माण अभीतक नहीं हो पाया है, जिससे की उक्त वार्ड के आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य योजना मद से उक्त स्थल पर गली-नाली का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल खोलना

*556. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अन्तर्गत नाजिरपुर पंचायत के निकट के ग्रामों में पशुपालक किसान गाय, भैंस, बकरी पालन कर दुध उत्पादन कर अपने परिवार एवं पशु का भरण-पोषण करते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नाजिरपुर पंचायत के निकट मवेशी अस्पताल नहीं रहने से किसानों को पशुओं का चिकित्सा एवं पशु का गर्भधारण कराने के लिये झोला छाप पशु चिकित्सा पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे किसानों के पशुओं का चिकित्सा एवं पशु का गर्भधारण सही ढंग से नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नाजिरपुर ग्राम के नाजिरपुर हाट पर मवेशी अस्पताल खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण कराना

*557. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर के सभी पुल पुलिया पचास वर्षों से अधिक पुराना रहने कारण जर्जर एवं छोटे है, जिसके कारण शहर में रोज जाम लगता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधुबनी शहर के सभी पुल पुलियों का चौड़ीकरण कराते हुये पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाइट लगाना

*558. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नगर पंचायत पीरपैंती के हॉस्पिटल मोड़, शेरमारी मोड़, शेरमारी चौक, स्टेशन चौक, शेरमारी दुर्गा मंदिर और सुन्दपुर डाकघर के पास हाई मास्ट लाइट नहीं रहने के कारण आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर हाई मास्ट लाइट कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*559. श्री सुदर्शन कुमार (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखण्ड के ग्राम-रहिका, थाना नं0-24, प्लॉट नं0-1429 सरकारी जमीन में आमलोगों के लिए सड़क बना हुआ है, उस सड़क को श्री बह्मदेव पासवान, पिता-स्व0 फकीर पासवान द्वारा अतिक्रमण कर चहारदिवारी का निर्माण कर लिया गया है, जिससे आम लोग को आने-जाने में कठिनाई हो रही है तथा अंचल कार्यालय, रहिका का पत्रांक 4538, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 एवं पत्रांक 125, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस बह्मदेव पासवान को दिया गया, उसके बावजूद आजतक आदेश का पालन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्लॉट को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*560. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा चीनी मिल की भूमि मढ़ौरा, तरैया रामकोला, भेल्दी-आनराकोठी, सोनहो सहित अन्य स्थानों पर लगभग 610 एकड़ जमीन एवं सैकड़ों क्वाटर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तथा अधिकांश भूमि का भू-माफियाओं द्वारा दखिल-खारिज भी करा लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार मढ़ौरा चीनी मिल की उक्त जमीन एवं क्वाटर को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए भूमि एवं क्वाटरों को सुरक्षित रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पानी उपलब्ध कराना

*561. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर अन्तर्गत मौरा झरकहा पंचायत के वार्ड नं0-18 बी में नल-जल योजना अभी तक चालू नहीं हुआ है, स्थानीय स्तर पर शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिससे आमलोगों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार वार्ड में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*562. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित कृषि विपणन केन्द्र (मार्केटिंग यार्ड) भवन जर्जर है तथा चहारदीवारी नहीं रहने के कारण भू-माफियाओं द्वारा मार्केटिंग यार्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार किसानों के हित में उक्त मार्केटिंग यार्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए भवन का जीर्णोद्धार एवं चहारदीवारी, सड़क तथा शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

*563. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत टेकारी अंचल में थाना संख्या 169, खाता संख्या 309, प्लॉट संख्या 1926, 1932 पुराना खतियान में मालिक गैर-मजरूआ जमीन के रूप में दर्ज था, जिसपर अनुसूचित जाति के परिवार आजादी के पूर्व से बसे हैं, जिसमें से 25 परिवारों को नया सर्वे के पूर्व जमीन का पर्चा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नया सर्वे के खतियान में उपरोक्त जमीन को उक्त टोला के बाहरी व्यक्ति के नाम पर रैयती दर्ज कर दिया गया तथा पुन: उसपर पूर्व से बसे 55 अनुसूचित जाति परिवारों को पुराना बसावट के नाम पर वासगीत पर्चा दे दिया गया है ;

(3)यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जमीन का नया सर्वे में दर्ज रैयतीकरण को रद्द कर वहाँ बसे शेष गरीबों के बीच जमीन का पर्चा बाँटने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देना

*564. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1003, दिनांक 22 जनवरी, 2021 के द्वारा संविदा कर्मी का प्रतिवर्ष मानदेय पुनरीक्षण का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 153 (4)/रा0 पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 2021 के द्वारा विभाग में संविदा कर्मी आशुलिपिक/प्रारूपक, अमीन, निम्नवर्गीय लिपिक/चालक, कार्यालय परिचारी, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल का अंतिम बार मानदेय वृद्धि की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन संविदा कर्मी का मानदेय पुनरीक्षण कर लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

*565. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत नावकोठी अंचल के गौड़ीपुर मौजा में खाता संख्या-18, खेसरा-217 से वाद संख्या 87/88 के तहत 1987 में 13 (तेरह) दलित परिवारों को भूमि का पर्चा दिया गया था, परन्तु पर्चाधारकों को आजतक जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार दलित परिवार के पर्चाधारकों की जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*566. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत मैरवा प्रखण्ड परिसर में एक जल मीनार त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत 199.72 लाख रूपये के लागत से सन् 2008 में निर्मित किया गया था, परन्तु विभागीय लापरवाही के कारण उक्त जल मीनार से नगर पंचायत के किसी भी घर में पानी की आपूर्ति नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जल मीनार से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*567. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला मुख्यलाय नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वी उंटा मुहल्ला के माले ऑफिस से प्राथमिकी विद्यालय, रामगढ़ होते हुये दरधा नदी तक ढक्कन युक्त नाला निर्माण का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण वार्ड संख्या 08, 09 एवं 10 के निवासियों को जल-जमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*568. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया नगर परिषद् क्षेत्र के बोधगया रोड से सूर्यपुरा तक लगभग 2 कि०मी० सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*569. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पं० चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा 2 प्रखंड के प० नौगरिया दरदरी के मिश्रौलिया मौजा थाना नं० 24 का जमाबंदी रजिस्टर और बंदोबस्ती अभिलेख गायब हो जाने के कारण वर्ष 2014 से लगान रसीद नहीं कट रहा है, जबकि 2014 के पूर्व किसानों का लगान रसीद कट रहा था, इस संबंध में तत्कालीन अंचलाधिकारी ने 5 वर्ष पूर्व जमाबंदी रजिस्टर और बंदोबस्ती अभिलेख गायब का प्राथमिकी दर्ज करायी थी, लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मौजा के थाना नं० 24 में वर्ष 2014 के बाद जमीन का लगान रसीद काटने की कार्रवाई कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*570. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत घघड़ी के वार्ड नं०-2, 4, 7 एवं 11 में पानी का पाइप लाइन पूरी तरह नहीं बिछाया गया है और वहां अतिरिक्त पानी टंकी की आवश्यकता है। धोबनिया पंचायत के वार्ड नं० 5 में पानी टंकी के मशीन में तकनीकी खराबी है। इसी पंचायत के वार्ड नं० 01 तथा गुणवंती पंचायत के वार्ड नं० 6 प्रसादपुर के पानी टंकी से आपूर्ति किये जाने वाला पानी गंदा, दूषित और पीने योग्य नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उल्लिखित पंचायतों के वार्डों में 'हर घर नल का जल' योजना का क्रियान्वयन सफलापूर्वक सुनिश्चित करने हेतु नया पाइप लाइन बिछाने, मशीन का तकनीकी दोष दूर करने और अतिरिक्त पानी टंकी का निर्माण कर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 25 जुलाई, 2024 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

बि०स०मु० 19 (एल०ए०), 2024-25 डी०टी०पी० -550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024